बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

<u>संकल्प</u>

विषय : द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिको तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों को आर्थिक सहायता 5,000/–रू0 से बढ़ाकर 10,000/–रू0 प्रतिमाह करने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 543 दिनांक, 30.10.2007 में निहित शर्त्तो के तहत द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों को दिनांक, 01.10.2007 के प्रभाव से 1,000/–रू0 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 02 दिनांक 01.01.2014 के द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों को दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से 1,000/–रू0 प्रतिमाह की दर से बढ़ाकर 5,000/–रू0 मात्र प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता का भुगतान वर्त्तमान में किया गया है।

2 सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 2(2)/WW-II Veterans/KSB/A दिनांक 03.02.2015 एवं सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 8(1)/2011-D(Res.II) दिनांक 03.3.2015 के अनुशंसा के आलोक में तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों की बढ़ती आयु तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके जीवन काल तक आदेश निर्गत होने की तिथि से दी जा रही आर्थिक सहायता 5,000/–रू0 प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर 10,000/–रू0 प्रतिमाह भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

3. इस राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, मॉग संख्या–22, उप शीर्ष–0006–द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता, ईकाई शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड–एन0 2235602000006 मद" से होगी। इस हेतु पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 02 दिनांक, 01.01.2014 को यथा संशोधित समझा जाए। पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 543 दिनांक, 30.10.2007 में निहित अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी।

........2

आदेश : आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव,
गृह विभाग

ज्ञापांक : सै0क0नि0/29/01/2011/825/पटना–23, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव,
गृह विभाग 14.10.16